

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

क्रमांक:- स्था.(रा.न्या.से.)अवकाश / 1138 /2021

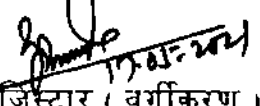
दिनांक : 18.05.2021

श्री साहब राम मोटयार (RJ0249). विशिष्ट न्यायाधीश, स्वापक औपधि और मनःप्रभाव पदार्थ अधिनियम, हनुमानगढ़ को दिनांक 16.04.2021 से 23.04.2021 तक 08 दिनों का परावर्तित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

श्री मोटयार की अनुपस्थिति में जिला एवं सेशन न्यायाधीश, हनुमानगढ़ ने उनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल की।

अवकाश में लौटने पर इनकी नियुक्ति विशिष्ट न्यायाधीश, स्वापक औपधि और मनःप्रभाव पदार्थ अधिनियम, हनुमानगढ़ के पद पर ही की गई।

आज्ञा से


रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक :- स्था.त्री.२(4)/64/1996/ 3238

दिनांक : 18.05.2021

प्रतिनिधि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन मन्त्रि, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट न्यायाधीश, स्वापक औपधि और मनःप्रभाव पदार्थ अधिनियम, हनुमानगढ़ को उनके पत्रांक 23 दिनांक 24.04.2021 के मन्दर्भ में।
3. श्री साहब राम मोटयार (RJ0249). विशिष्ट न्यायाधीश, स्वापक औपधि और मनःप्रभाव पदार्थ अधिनियम, हनुमानगढ़।
4. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, हनुमानगढ़।


सहायक रजिस्ट्रार